

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
(श्रमायुक्त का कार्यालय, ई-मेल-labcomjhr@gmail.com)

आदेश

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली 1972, के नियम-25 के उप-नियम (2) के खण्ड (v) के उप खण्ड (b) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त, झारखण्ड द्वारा ठेका श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं मजदूरी की दरों का निर्धारण किया गया है।

विभागीय आदेश ज्ञापांक-1127, दिनांक-28.06.2024 द्वारा ठेका श्रमिकों के मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। इस कोटि के कामगारों को उक्त नियम से संबंधित अनुलग्नक के प्रावधान-13 (iii) के आलोक में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा दिनांक-01.04.2025 की तिथि से अधिसूचित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें देय होगी।

अतः दिनांक-01.4.2025 की तिथि से उपर्युक्त नियम से आच्छादित ठेका श्रमिकों की मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी :-

श्रमिकों की कोटि	दिनांक-28.06.2024 से देय मजदूरी प्रतिमाह	दिनांक-01.04.2025 से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल मजदूरी प्रतिमाह
अकुशल	12,203.36	854.23	13,057.59
अर्द्ध कुशल	12,784.72	894.93	13,679.65
कुशल	16,853.20	1179.72	18,032.92
अति कुशल	19,467.76	1362.74	20,830.50

श्रमायुक्त, झारखण्ड।
26/09/25

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011 श्र0नि0, राँची, दिनांक-25/09/25
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय प्रेस झारखण्ड, डोरण्डा, राँची-2 को सूचनार्थ एवं आगामी राजकीय गजट के अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

श्रमायुक्त, झारखण्ड।
26/09/25

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011 श्र0नि0, राँची, दिनांक-25/09/25
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्रमायुक्त, झारखण्ड।
26/09/25

ज्ञापांक:-1/ठे0म0अ0(श्रमा0)-08/2011 श्र0नि0, राँची, दिनांक-25/09/25
प्रतिलिपि:-झारखण्ड, सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त/उपश्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक झारखण्ड/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि-श्रमिक सहित)/सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित)/सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्रमायुक्त, झारखण्ड।